कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख,जबलपुर

क्रमांक/ 150/अ.भू.अ./2019 जबलपुर,दिनांक 18/02/2019

प्रति,

उपाध्यक्ष,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
59 नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स जेल रोड
भोपाल, मध्यप्रदेश ।

विषय– नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना मे प्रभावित हो रही 2400 हेक्टर वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ– कार्यालय मुख्य अभियंता इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद जिला खरगौन म0प्र0 के पत्र क./2788/मो0 एवं गं./2018 दिनॉक 28.07.2018

—00—

संबंधित परियोजना हेतु वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर के प.क./डी.एम./2772 दिनॉक 12.10.2015 द्वारा चयनित 735.25 हेक्टर भूमि मे से कार्यालयीन प.क.293 दिनॉक 26.05.2016 को उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को 505.63 हेक्टर भूमि दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। वनमंडलाधिकारी द्वारा 735.25 हेक्टर भूमि का वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता बावत मौके पर सर्वेक्षण कराने पर 170 हेक्टर भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई,शेष भूमि वृक्षारोपण के उपयुक्त नही पाई गई है (पृष्ठाकन प.क.209 दिनॉक 11.01.2018 द्वारा अवगत कराया गया है।)

अनुविभागीय अधिकारी कुण्डम एवं सिहोरा द्वारा निम्न 170 हेक्टर भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु देने हेतु अभिमत मांगा गया जिसमे उनके द्वारा अनुशंसा की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी (कुण्डम, सिहोरा) के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए निम्नानुसार जिले के ग्राम–बरगवा,खलरी,किवलारी की 170 हेक्टर भूमि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आरक्षित की जाती है।

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	कुल में से रकबा (हेक्टर में)
1	मझौली	बरगवा	136	121.18	100
2	मझौली	खलरी	168	23.07	20
3	कुण्डम	किवलारी	180	71.66	50
	योग	**3**	**3**	**215.91**	**170**

कलेक्टर
जिला–जबलपुर

c:\users\c\desktop\letters and formates\slr.docx